डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अप्रैल 2002—चैत्र 16, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 17 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2002

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2002 है.

(2) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

अनुसूची-एक में संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की अनुसूची-एक में अनुक्रमांक 1 के सामने कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जायेगी :—

प्रविष्टियों 4, 14 (गन्ना को अपवर्जित करते हुए) 15 में विनिर्दिष्ट किया गया माल और प्रविष्टि 5 में विनिर्दिष्ट आटा, मैदा, सूजी और चोकर को छोड़कर वाणिज्यिक कर अधिनियम की अनुसूची-एक में निर्दिष्ट किया गया माल.

अनुसूची-दो में संशोधन. 3. मूल अधिनियम की अनुसूची दो में,

(1) अनुक्रमांक 10 (ख) में, शब्द "और गुड़ाकू" विलोपित किए जाएंगे और प्रविष्टि 10 (ख) के बाद निम्न प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी :—

(ग)	गुड़ाखू	20

(2) अनुक्रमांक 22 एवं 27 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किये जायेंगे :—

22	(क) तंबाकू युक्त पान मसाला जिस पर केन्द्रीय उत्पाद एवं तटकर अधिनियम, 1985 (क्रमांक 5 सन् 1986) के अंतर्गत अतिरिक्त आबकारी शुल्क उद्ग्रहणीय हैं या उद्ग्रहणीय योग्य है.	20
	(ख) पान मसाला जो प्रविष्टि (क) में सम्मिलित नहीं है.	1
27	(क) फ्लाई एश ब्रिक्स,	5
	(ख) फायर क्ले और फ्लाई-एश ब्रिक्स को छोड़कर ईंटें	1

(3) अनुक्रमांक 41 में कालम (2) में शब्द उद्जनित वनस्पति तेल लोप किये जायेंगे.

(4) अनुक्रमांक 41 के पश्चात् निम्न प्रविष्टि अंत:स्थापित की जायेगी,

41-ए	(एक) उद्जनित वनस्पति तेल जो भारत में उत्पादित हो.	0.5
	(दो) उद्जनित वनस्पति तेल जो भारत में उत्पादित न हो.	20

(5) अनुक्रमांक 58 के पश्चात् निम्न प्रविष्टि अंत:स्थापित की जायेगी,

59	आटा, मैदा, सूजी और चोकर	5

अनुसूची-एक में संशोधन. 4. प्रमुख अधिनियम की सूची में,

(1) अनुक्रमांक 1 के कॉलम (2) में शब्दों "और अनुसूची दो" के स्थान पर शब्द, "अनुसूची दो और इस अनुसूची की अन्य प्रविष्टि" प्रतिस्थापित किए जाएंगे.

(2) प्रविष्टि 1 के बाद निम्न प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी :—

2.	केन बास्केट, ड्रिल रॉड तथा पी. वी. सी. केसिंग पाईप	10

उद्देश्यों एवं कारणों का अभिकथन

यह विधेयक वित्त वर्ष 2002-2003 के बजट प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है.

2. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 20 मार्च, 2002.

रामचन्द्र सिंहदेव
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 की अनुसूचियों की वर्तमान प्रविष्टियां

अनुसूची एक की प्रविष्ट 1

1. वाणिज्यिक कर अधिनियम की अनुसूची एक विनिर्दिष्ट किया गया माल, उस माल को छोड़कर जो कि उक्त अनुसूची की प्रविष्टि 4, 14 (गन्ना को छोड़कर), और 15 में विनिर्दिष्ट किया गया है.

अनुसूची दो की प्रविष्टि 10

10. (क) सिगार, चेरूट, सिगरेट और तंबाकू के सिगारिलोस — 10

(ख) अनिर्मित तंबाकू और तंबाकू कचरा, अन्य तंबाकू उत्पाद, बीड़ी और गुड़ाकू को सम्मिलित करते हुए — 2.5

अनुसूची दो की प्रविष्टि 22

22. पान मसाला — 1

अनुसूची दो की प्रविष्टि 27

27. ईंटें, फायर ब्रिक्स और फायर क्ले — 1

अनुसूची दो की प्रविष्टि 41

41. सभी प्रकार के खाद्य तेल, उद्जनित वनस्पति तेल और घी — 20

अनुसूची दो की प्रविष्टि 58

58. चावल

अनुसूची तीन की प्रविष्टि 1

1. अनुसूची एक और अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट मालों के अतिरिक्त अन्य समस्त माल — 1

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.